AUTHENTICATED
(JAIRAM RAMESH)
MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
ENVIRONMENT AND FOREST

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

(जयराम रमेश/JAIRAM RAMESH)
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
पर्यावरण एवं वन
Minister of State (Independent Charge)
Environment & Forests

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 2011/माघ 20, 1932
No. 261] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2011/MAGHA 20, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2011

का.आ. 303(अ).—पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 714(अ), तारीख 26 मार्च, 2010 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 31 मार्च, 2010 को प्रकाशित किया गया था, जिससे ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 31 मार्च, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 4 में,—

(क) ''समिति का गठन'' शब्दों के पश्चात् ''तीन वर्ष की अवधि के लिए'' शब्द, अंत:स्थापित किए जाएंगे,

(ख) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(छ) जनता का एक प्रतिनिधि जो मानवतावादी हो या क्षेत्र का ऐसा कोई ख्याति प्राप्ति व्यक्ति जिसे पशु कल्याण का अनुभव हो''।

3. उक्त नियमों के नियम 5 में, खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(ज) समिति के क्रियाकलापों को लोक सूचना में उद्घोषणा और विज्ञापनों के द्वारा लाएगी''।

4. उक्त नियमों के नियम 6 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(4) उक्त परिक्षेत्र की मानीटरी समिति पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का निर्धारण करने के लिए कम से कम प्रत्येक मास में बैठक करेगी''।

5. उक्त नियमों के नियम 7 के, उप-नियम (6) में, ''अन्य संस्थाओं'' शब्दों के स्थान पर, ''अन्य मान्यताप्राप्त संस्थाओं'' शब्द अंत:स्थापित किये जाएंगे ।

[फा. सं. 27-2/2009-एडब्ल्यूडी]

अंजनी कुमार, निदेशक (पशु कल्याण)

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. का.आ. 1256(अ) तारीख 24 दिसम्बर, 2001, द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2011

S.O. 303(E).—Whereas, the draft rules amending the Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001 were published, as required by sub-section (1) of Section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960) under the notification of the Government of India, Ministry of Environment and Forest *vide* number S.O. 714(E), dated the 26th March, 2010 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 31st March, 2010 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 31st day of March, 2010;

And, whereas no objection or suggestion has been received from the public in respect of the said draft rules by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001, namely :—

1. (1) These rules may be called Animal Birth Control (Dogs) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4,—

(a) after the words "constituted by the local authority", the words "for a period of three years" be inserted;

(b) after clause (f), the following clause shall be inserted namely :—

"(g) a representative of the people who is a humanitarian or a well known individual who has experience in animal welfare in the locality".

3. In rule 5 of the said rules, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely :—

"(h) the activities of the Committee shall be brought to the public notice by announcements and advertisements".

4. In rule 6 of the said rules, after sub-rule (3) the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) The Monitoring committee of the said locality shall meet at least once in every month to assess the progress made in regard to implementation of the Animal Birth Control Programme".

5. In rule 7 of the said rules, in sub-rule (6), for the words "other institutions", the words "other recognized institutions" shall be substituted.

[F. No. 27-2/2009-AWD]

ANJANI KUMAR, Director (Animal Welfare)

Note.—The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 1256(E) dated the 24th December, 2001.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.